

प्रसासंगी ~~जबकि~~ योजना विविध सम्बन्धों में मल्लयुक्त करण है। इसलिये उसे प्रभावित करने के लिए तर्क है।

8:- दिवालियापन के लिए प्रमुख संगठन कौन-कौन से हैं ? इसके प्रभावों / दुष्प्रभावों की व्याख्या करें।

→ Insolvency and Bankruptcy Code के अनुसार -
 " कोई व्यक्ति या कंपनी जब अपने बिलों और अन्य मौखिक दायित्वों का समूह पर भुगतान नहीं कर पाता है, दिवालिया कहलाता है।



* NCLT (National Company Law Tribunal)

→ निर्णय - Company act 2013 में

स्थापना - 2016 में

→ इससे पूर्व में चल रहे BIFR (Board of Industrial and Financial Reconstruction) का स्थान लिया।


→ भारत में कुल 25 खण्डपीठ हैं।

→ NCLT के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय खण्डपीठ में एवं उनके निर्णय के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

- NCLT रद्दियों के प्रबंधन, सुधार आदि का सुझाव देने, बाज को माफ करने की सिफारिश, श्रमिकों का प्रबंधन में जागीदारी दे सकता है।
- अंततः NCLT रद्दियों को बंद करने का निर्णय दे सकता है।

* IBBI (The Insolvency and Bankruptcy Board of India)

- दिसम्बर 2016 में स्थापित हुआ।
- दिवालिया व दिवालियापन कार्यवाही को आसान बनाने का प्रयास है।
- 2-यायाधिकरणों - (NCLT & DRT) के मामलों का उपयोग करता है।
- दिवालिया प्रक्रिया, दिवालिया प्रेसेवर एजेंसी, एवं सूचना उपयोगिताओं का शीर्षतम संगठन है।
- IBBI एक वैधानिक निकाय है जो परिसंपत्ति के लिए संकल्प प्रक्रिया को गति देता है।



कमियाँ

- मामले के विपरीत में लंबा समय लगना।
- संगठन की संख्या लंबित मामलों की संख्या के अनुसार कम है।
- संगठन के अधिकारियों की समय पर नियुक्ति नहीं हो पाता।
- बड़े उधारकर्ता के मामले विपरीत में सक्षम नहीं होना।

निष्कर्ष

फिनलियेन के लेकर बने संगठन की कुछ कमियों के बावजूद इसमें उद्योगों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय कंपनियों भाड़ि का भरोसा बढ़ा है क्योंकि ये संस्थाएँ संगठनें जहाँ उद्योगों की निर्णय का फैसला लेती हैं वहीं यह उन्हें सुधार करने के लिए सलाह भी देती हैं जिससे उद्योग वापस पुराने रूप में आ पाए। अब इससे बैंकों में NPA आना नहीं बढ़ता एवं आर्बजिटिक बैंक पर सरकार का खर्च कम होता है। इससे सरकारी खजाना बचता रहता है एवं देश के अन्य कार्य होते हैं एवं देश का GDP में वृद्धि होती है।